न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

543
9.9.14

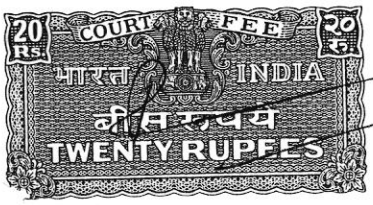

COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

R - 3318 - II/14

दिनेश प्रताप सिंह चौहान तनय श्री भगदत्त सिंह चौहान उम्र 68 वर्ष निवासी ग्राम डेम्हा तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म0प्र0) ------ पुनरीक्षणकर्ता

बनाम्

1. बृजेन्द्र बहादुर सिंह चौहान तनय श्री कलन्दर सिंह चौहान उम्र 62 वर्ष
2. शरद कुमार सिंह तनय श्री स्व. अभयराज सिंह चौहान उम्र 40 वर्ष

दोनो निवासी ग्राम डेम्हा तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म0प्र0)

3. शासन मध्यप्रदेश ------ उत्तरवादीगण

श्री ... द्विवेदी एड द्वारा आज दिनांक 9.9.2014 के प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

3043
19-9-14

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म0प्र0) के राजस्व प्रकरण क्र0 54/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 06.08.2014

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर ,

पुनरीक्षण के निम्न आधार है :-

1- यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नीय पुनरीक्षणाधीन आदेश दिनांक 06.08.2014 विधि प्रक्रिया तथ्य एवं सहज न्याय सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जानें योग्य है।

2- यह कि आवेदक एवं अनावेदक क्र0 1, 2 एक ही जाति समुदाय के सदस्य हैं तथा आपस में एक दूसरे के सरहद्दी कास्तकार है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-3318–दो–.2014 **जिला सीधी**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश दिनेश/बृजेन्द्र	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–02–2016	यह निगरानी तहसीलदार तहसील गोपदबनास जिला सीधी के प्रकरण कमांक 54/अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 06.08.14 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री मृत्युंजय प्रसाद द्विवेदी उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राहयता पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्को एवं निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों के संदर्भ में निगरानी मेमो के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति का परिशीलन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि प्रथमतः तो आवेदक द्वारा निगरानी मेमो में यह अंकित नहीं किया गया है कि सीमांकित भूमियों से लगी हुई उसकी कौन सी भूमियां हैं तथा वह उक्त सीमांकन से किस प्रकार से प्रभावित है। इसके साथ ही आक्षेपित आदेश में भी यह कहीं भी अंकित नहीं है कि विवादित सीमांकन में किसी की भूमि दवती पायी गयी हो। इसके साथ ही सम्पूर्ण प्रकरण एवं सीमांकन कार्यवाही के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इस सीमांकन से आवेदक के हित किस प्रकार से प्रभावित हो रहे है और न ही इस संबंध में आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा कोई स्थिति ही स्पष्ट की गयी है। अतः सम्पूर्ण विवेचना उपरांत मैं यह पाता हूं कि वर्तमान में आक्षेपित सीमांकन कार्यवाही एवं सीमांकन आदेश से किसी भी पक्ष के हित अनुचित रूप से प्रभावित होना परिलक्षित नहीं हो रहे है। परिणाम स्वरूप प्रकरण में ग्राह्यता का प्रर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि.हो। 10.2.16 **(आशीष श्रीवास्तव)** **सदस्य**	